प्रेस नोट ***21/06/2026***

’’करें योग, रहें निरोग’ ’

आज दिनांक 21 जून 2026 को 12वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन मऊ के परिसर में प्रातः पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर की उपस्थिति में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पतंजलि योग समिति व युवा भारत परिवार के योग प्रशिक्षक टीम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकाल का पालन कराते हुए पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य, निरोग, तनावमुक्त एवं प्रसन्नचित रहने हेतु विभिन्न तरह के आसन/व्यायाम कराते हुए योग करने के लाभ के बारे में बताया गया। इस दौरान योग प्रशिक्षक द्वारा मानव जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित सभी को नियमित रुप से योगाभ्यास करने हेतु प्रेरित किया गया। प्रशिक्षक द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रखने के लिए योगाभ्यास कराया गया तथा बताया गया कि योग द्वारा न सिर्फ बीमारियों का उपचार किया जाता है, अपितु इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक कमियों को भी दूर किया जा सकता है। स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग को जीवन में अपनाना जरूरी है तथा तन और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्रा, क्षेत्राधिकारी लाइन श्री सोम प्रकाश वर्मा सहित, प्रतिसार निरीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह, पतंजली परिवार की ओर से श्री धर्मेन्द्र योगी व श्री बलवन्त कुमार व श्वेता पांडे, ममता यादव एवं भारी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। साथ ही साथ जनपद मऊ के समस्त थानों पर योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें समस्त पुलिसकर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

गुम/खोये हुए 04 मोबाइल फोन थाना दक्षिणटोला साईबर पुलिस टीम द्वारा बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के निर्देशन में साइबर फ्रॉड रोकथाम व जागरूकता तथा गुम मोबाईल बरामदगी के तहत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष दक्षिणटोला जनपद मऊ टीम द्वारा थाना स्थानीय भिन्न भिन्न दिनांक में CEIR पोर्टल शिकायतकर्ता शोहराब आलम, मारिया, प्रमिला गुप्ता, अमरजीत कुमार के द्वारा मोबाइल गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी। शिकायत की जाँच के क्रम में गुम मोबाइलों को CEIR पोर्टल की मदद से ट्रेस कर बरामद किया गया। बरामद मोबाईल शिकायतकर्ताओं को सुपुर्द गिया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके

MRM पोर्टल के माध्यम से साइबर ठगी के एक पीड़ित के खाते में 17000/- रूपये वापस कराय गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर जी के आदेश के अनुपालन में चलाये जा रहे साइबर फ्राड अभियान के क्रम में , अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार , क्षेत्राधिकारी लाइन श्री नितेश प्रताप सिंह व प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी श्री घनश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में थाने पर साइबर टीम द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत आवेदक बेलाल अहमद पुत्र-मुस्ताक अहमद खालिसपुर अदारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के यूपीआई के माध्यम से आवेदक के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके फ्राड किया गया था। जिसके सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा साइबर पोर्टल के माध्यम से शिकायत थाने पर की गयी थी जिसके तहत थाना सरायलखंसी मे नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए पीडित/आवेदक बेलाल अहमद पुत्र-मुस्ताक अहमद खालिसपुर अदारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की फ्राड धनराशि होल्ड करायी गयी थी जिसके तहत पीडित/ आवेदक को दिनांक 21.06.2026 को 17000/- रूपये वापस कराया गया

दिनांक 20.06.2026 को थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत पिढवल बाजर में सडक दुर्घटना में अराजकतत्वो द्वारा पथराव व सडक जाम करने वाले कुल 23 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल पर्वेक्षण/नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस द्वारा कानून एंव शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु दिनांक 20.06.2026 को ग्राम पिढ़वल के पास गोरखपुर वाराणसी हाइवे पर जाम लगाकर कानून एंव शान्ति ब्यवस्था विगाहने वालों के विरूद्ध मु0अ0सं0-253/2026 धारा 190, 191(2), 191(3), 109, 117(2), 131, 121(2), 125, 126 (2), 189(2), 115(2), 352, 351(2), 324(4) बी.एन.एस. व 7 CLA एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ पंजीकृत कर अभियोग से सम्बन्धित 23 अभियुक्तगण को आज दिनांक 21.06.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तो का विवरण—

1. सुभाष चौहान पुत्र इन्द्रदेव चौहान निवासी मानिकपुर जमीन हाजीपुर थाना घोसी जनपद मऊ,
2. रामविनय कन्नौजिया पुत्र भोला कन्नौजिया निवासी ग्राम मानिकपुर जमीन हाजीपुर थाना घोसी जनपद मऊ
3. देवेन्द्र कुमार पुत्र रामबचन निवासी लाखीपुर थाना घोसी जनपद मऊ,
4. मृत्युजंय राजभर पुत्र रामरतन राजभर उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम हाजीपुर थाना घोसी जनपद मऊ,

5. सुजीत कन्नौजिया पुत्र रामअवध कन्नौजिया उम्र करीब 19 वर्ष निवासी मानिकपुर थाना घोसी जनपद मऊ,
6. संदीप पुत्र सुदामा प्रसाद उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम मानिकपुर थाना घोसी जनपद मऊ,
7. जयसिंह मौर्या पुत्र जितेन्द्र मौर्या उम्र 29 वर्ष निवासी पिढवल थाना घोसी जनपद मऊ
8. दुर्गेश कुमार पुत्र रामबचन प्रजापति उम्र 29 निवासी ग्राम हाजीपुर थाना घोसी जनपद मऊ,
9. पिन्टू यादव पुत्र रामअवध यादव उम्र 40 वर्ष निवासी इटौरा डोरीपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ,
10. राहुल कुमार पुत्र संतोष उम्र 21 वर्ष निवासी हांसापुर किरकिट थाना घोसी जनपद मऊ,
11. राणाप्रताप शर्मा पुत्र झूरी शर्मा उम्र 48 वर्ष निवासी मानिकपुर जमीन हाजीपुर थाना घोसी जनपद मऊ,
12. रोहित कन्नौजिया पुत्र रामसमुझ कन्नौजिया उम्र 20 वर्ष,
13. प्रहलाद चौहान पुत्र रमेश चौहान उम्र 21 वर्ष निवासी चिस्तीपट्टी थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ,
14. परमेश गोड पुत्र बेचई गोड उम्र 26 वर्ष निवासी हाजीपुर थाना घोसी जनपद मऊ,
15. विवेक कुमार पुत्र नौमी राजभर उम्र 19 वर्ष निवासी रतनपुरा जोगापुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ,
16. पांचू राजभर पुत्र शिव राजभर उम्र 19 वर्ष निवासी मानिकपुर थाना घोसी जनपद मऊ,
17. आलोक कुमार पुत्र प्रेमचन्द्र उम्र 25 वर्ष निवासी बसारतपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ,
18. राकेश प्रजापति पुत्र रामबचन उम्र 30 वर्ष निवासी हाजीपुर थाना घोसी जनपद मऊ,
19. इन्द्रजीत राजभर पुत्र रविन्द्र कुमार राजभर उम्र 22 वर्ष निवासी तराईडीह थाना घोसी जनपद मऊ,
20. रामप्रताप यादव पुत्र रामलगन यादव उम्र 34 वर्ष निवासी पदमीडाड थाना घोसी जनपद नऊ,
21. अजीत कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र उम्र 25 वर्ष निवासी पदमीडाड थाना घोसी जनपद मऊ,
22. शशांक पुत्र लखन्दर हुलिया उम्र 19 वर्ष निवासी मानिकपुर जमीन हाजीपुर थाना घोसी जनपद मऊ,
23. पवन कुमार पुत्र नन्दलाल उम्र 21 वर्ष निवासी हाजीपुर थाना घोसी जनपद मऊ

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

1 . थाना रानीपुर पुलिस द्वारा दिनांक 21.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे याकूबपुर शमसाबाद के पास से मु0अ0स0 077/26 धारा 87,137(2), बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त रोशन राजभर

पुत्र रामसरन राजभर निवासी पलिया थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

2. थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा दिनांक 21.06.2026 को एक नफर वारण्टी मनोज पुत्र रामवृक्ष निवासी कमालचक थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

एक शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से एक ट्रक में 400 पेटी अवैध नाजायज अंग्रेजी शराब बरामद–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मु0बाद गोहना के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद व आबकारी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त मनीष कुमार पुत्र लच्चाराम निवासी खूदासा थाना सादर बाडमेर राजस्थान उम्र करीब 25 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0स0-197/2026 धारा 63/72 संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 (संशोधित) थाना मु0बाद गोहना मऊ मुखबिर के सूचना पर उम्मनपुर से दिनांक 20.06.2026 को समय करीब 16.00 बजे घटनास्थल मुहम्मदाबाद नदवासराय मार्ग पर फुलवरिया व भातकोल के पास स गिरफ्तार किया गया किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण –   आबकारी पुलिस व थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नदवासराय मार्ग पर फुलवारिया और भातकोल के बीच में सड़क के किनारे पर एक टाटा कंपनी की ट्रक खड़ी है जिसका वाहन नंबर HR39 D5275 है ट्रक के पास पहुँच कर ट्रक चालक से अपना परिचय देते हुये उसके बारे में पूछा गया तो उसने अपना नाम मनीष कुमार पुत्र लच्चाराम उम्र 25 वर्ष पता खूदासा थाना सादर बाड़मेर राजस्थान बताया तथा ट्रक मे क्या है पूछने पर बताया कि साहब ट्राक में शराब है हम पंजाब से आ रहे है और विहार जाना था परन्तु रास्ता भटक गये फिर आप लोग मिल गये। जब ट्रक की रस्सी खोलकर त्रिपाल हटाकर देखा गया तो कुछ बोरिया उपर लदी हुई थी तथा उसके नीचे शराब कि पेटिया दबी हुई थी जब गिनती की गयी तो कुल 400 पेटी था और सभी पेटियों पर सेल इन पंजाब लिखा हुआ था चालक, चालक के मोबाईल मय वाहन ट्रक नंबर HR39 D5275 गिरफ्तार कर थाना मुहम्मदाबाद गोहना पर मु0अ0स0-197/2026 धारा 63/72 संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 (संशोधित) थाना मु0बाद गोहना मऊ पंजीकृत हुआ। आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रहा है अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु मा0 न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मनीष कुमार पुत्र लच्चाराम निवासी खूदासा थाना सादर बाडमेर राजस्थान उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी

1. 400 पेटी अवैध नाजायज अंग्रेजी शराब लेबल (फार सेल इन पंजाब)
2. एक अदद मोबाईल
3. एक अदद वाहन ट्रक(टाटा) नंबर HR39 D527

थाना मुहम्मदाबाद गोहना की साइबर टीम द्वारा MRM पोर्टल के माध्यम से साइबर ठगी के एक पीड़ित के खाते में 47000/- रुपये वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मुहम्महाबाद गोहना व प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद गोहना के कुशल नेतृत्व में थाने पर साइबर टीम द्वारा थाना मुहम्मदाबाद गोहना साइबर पोर्टल के आवेदक कमलेश द्विवेदी पुत्र जनार्दन द्विवेदी निवासी कमालपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के साथ यूपीआई के माध्यम से फ्राड कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन थाना मुहम्मदाबाद गोहना पर की गयी। उक्त शिकायत के आधार पर थाना मुहम्मदाबाद गोहना में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये कमलेश द्विवेदी पुत्र जनार्दन द्विवेदी निवासी कमालपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के खाते से फ्राड हुई धनराशि से 47000/- रुपये वापस कराया गया।